हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक
एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

संख्या ईडीएन (टीई) ए (3) 9/2007 तारीख, शिमला-02 27 अगस्त, 2012

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में विभागाध्यक्ष (एप्लाईड साईसिज एण्ड हयूमिनिटीज), वर्ग– I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध– 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ! 1. (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, विभागाध्यक्ष (एप्लाईड साईसिज एण्ड हयूमिनिटीज), वर्ग– I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2)ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

(के0 संजय मूर्ति)
सचिव (तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या ईडीएन (टीई) ए (3)9/2007 27-08-2012

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02
2 निदेशक तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हि0 प्र0 सुन्दरनगर जिला मण्डी।
3 सचिव, हि0 प्र0 लोक सेवा आयोग को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
4 नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हि0प्र0 शिमला 05 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।
5 संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव विधि हि0प्र0 सरकार, शिमला–02
6 वरिष्ठ विधि अधिकारी, राजभाषा खण्ड –11 विधि विभाग, हि0प्र0 सचिवालय ।
7 गार्ड नस्ति।

विशेष सचिव (त0शि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

(2)

उपाबन्ध–क

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में विभागाध्यक्ष (एप्लाईड साईसिज एण्ड हयूमिनिटीज),वर्ग – I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1	पद का नाम :	विभागाध्यक्ष (एप्लाईड साईसिज एण्ड हयूमिनिटीज)
2	पद (पदों)की सख्यां :	07 (सात)
3	वर्गीकरण :	वर्ग – I (राजपत्रित)
4	वेतनमान :	पे बैण्ड 15,600–39100 / रूपये जमा 7800 / रूपये ग्रेड पे।
5	चयन पद अथवा अचयन पद :	चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु:	लागू नहीं ।
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियो) के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं:	लागू नहीं ।
8	सीधे भर्ती किए वाले व्यक्ति /व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियो) की दशा में लागू होंगीं या नही ।	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताए : लागू नहीं ।
9	प्रोन्नत व्यक्ति /व्यक्तियों परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10	भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पद/पदों की प्रतिशतता :	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकण्डमैण्ड आधार पर ।
11	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।	वरिष्ठ व्याख्याताओं (एप्लाईड साईसिज एण्ड हयूमिनिटीज) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो । ऐसा न होने पर वरिष्ठ व्याख्याताओं (एप्लाईड साईसिज एण्ड हयूमिनिटीज) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका वरिष्ठ व्याख्याता और व्याख्याता (एप्लाईड साईसिज

		एण्ड हयूमिनिटीज) के रूप में संयुक्ततः पॉच वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित पॉच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें वरिष्ठ व्याख्याता (एप्लाईड साईसिज एण्ड हयूमिनिटीज) के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा सम्मिलित होगी, दोनों के न होने पर, हिमाचल प्रदेश सरकार / केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में समरूप वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकण्डमैण्ड आधार पर ।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुगर्म क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तु उन कर्मचारियों के मामले में लागू नही होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सवर्था वष्ठिता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण I– उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण II:– उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगे:–

1 जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2 चम्बा जिला का पांगीं और भरमौर उप मण्डल ।
3 रोहड़ू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4 जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5 कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6 कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।
7 जिला किन्नौर ।
8 सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़ –भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील क़ा कोटा पाब पटवार वृत्त ।
9 मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल –बागड़ा पटवार वृत्त , बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल,पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन,देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड, और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बागड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

1 प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में, यथाविहित सेवाकाल के लिए , इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट

उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में, उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण :– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज ,1972 के नियम –3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज ,1985 के नियम –3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति /प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी : परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् , जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान् हो तो उसकी संरचना :	जैसी समय – समय पर सरकार द्वारा गठित की जाए ।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	लागू नहीं ।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	लागू नहीं ।
16	आरक्षण	लागू नहीं ।
17	विभागीय परीक्षा	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण (पास) करनी होगी ।
18	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से , आदेश द्वारा , इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को, किसी वर्ग या व्यक्ति(यों)के प्रवर्ग या पद (पदों)की बावत शिथिल कर सकेगी।